72 19 लाभ कमाने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) में बोर्ड एवं बोर्ड से निम्न स्तरीय कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि।

अधोहस्ताक्षरी को उपरोक्त विषय पर इस विभाग के का.ज्ञा. सं. 18(1)/2007–जीएम–जीएल–80 दिनांक 20 अप्रैल, 2007 का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. सरकार ने आगे इस मामले पर विचार किया है तथा बजटीय समर्थन [दिनांक 20 अप्रैल 2007 के उपरोक्त का.ज्ञा. सं. का पैरा 2(ख)] से जुड़ी शर्त को संशोधित कर दिया गया है।

3. अब बजटीय सहायता का अर्थ 'वेतन, मजदूरी, वैधानिक देयताओं के भुगतान, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति/सेपरेशन स्कीमों (वीआरएस/वीएसएस) के लिए भुगतान तथा नकदी घाटे को पूरा करने के लिए भुगतान' के लिए सहायता है।

4. दिनांक 20 अप्रैल, 2007 के का.ज्ञा. में वर्णित अन्य प्रावधानों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

5. सभी प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों से अनुरोध है कि वे उक्त निर्णय पर गौर करें तथा अपने प्रशासनाधीन सीपीएसई को इस मामले में उपयुक्त सलाह दें।

(डीपीई का. ज्ञा. सं. 18(1)/2007–जीएम–जीएल–87 दिनांक 19 जुलाई, 2007)

*****